

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 10—नवम्बर 16, 2018 (कार्तिक 19, 1940)

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 10—NOVEMBER 16, 2018 (KARTIKA 19, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं
सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुम्बई-400001, दिनांक 11 अक्टूबर 2018

बैंकिंग.आईबीडी.सं.2963/23.03.029/2018-19—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (ग) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन किये जाएं :—

“दोहा बैंक क्यूएससी” शब्दों के स्थान पर “दोहा बैंक क्यू.पी.एस.सी” शब्द होंगे।

सुदर्शन सेन
कार्यपालक निदेशक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(गुजरात क्षेत्रीय कार्यालय)

अहमदाबाद-14, दिनांक 16 अक्टूबर 2018

सं. यू/16/53/2003/मैडी-II/गुज-37/पी टी एम आर/एस एम सी/डॉ टी. एम. परीख/पी टी एम आर/07—कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम 1950 के विनियम 105 के अधीन की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या पी.टी. फाइल यू.16/18/1/एस एम सी/2009/मैडी-1 दिनांक 24.10.2018 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर(रों) को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को (गुजरात) क्षेत्रीय निदेशक द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षण करने तथा मूल प्रमाणपत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :—

डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ. टी. एम. परीख पी टी एम आर	23.08.2018 से 11.06.2018	दरियापुर अहमदाबाद

अक्षय काला
क्षेत्रीय निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400001, the 11th October 2018

DBR.IBD.No.2963/23.03.029/2018-19—In pursuance of clause (c) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs that the following alterations shall be made in the Second Schedule to the said Act namely:—

For the words “Doha Bank Qsc” the words “Doha Bank Q.P.S.C” shall be substituted.

SUDARSHAN SEN
Executive Director

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

(GUJARAT REGIONAL OFFICE)

Ahmedabad-380014, the 16th October 2018

No. U-16/53/2003/Med.II/(Guj) 37/G/PTMR/SMO/Dr. T. M. Parikh/16—In pursuance of resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.04.1951 conferring upon the Director General the power of Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such power further delegated to me vide Director General order on file No.-16/18/1/SMC/2009/Med1 dated 24.01.2018. I hereby authorized the following doctors to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with norms w.e.f. The date given below for one year or till a full time Medical Refree joins, whichever is earlier, for centers as stated below for areas allocated by undersigned, for the purpose of medical examination of insured persons and grant of further certification to them, when the correctness of the original certificate is in doubt :—

Name	Centre	Name of Centre/Place/Distt./State
Dr. Tushar M. Parikh	23.08.2018 to 11.06.2019	B.O. Dariapur, Ahmedabad, Gujarat

AKSHAY KALA
Regional Director